फैक्स

सेवा में:– होम कन्ट्रोल/डीजीपी कन्ट्रोल, लखनऊ/इण्ट कन्ट्रोल/अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था/अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ.प्र.लखनऊ/अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन, मेरठ/आयुक्त सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर/पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर, जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर, पुलिस अधीक्षक बागपत, वरिष्ठ पलिस अधीक्षक **मेरठ**।

प्रेषक :– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।

पत्र संख्याः– एस0एम0सी0–सरा0कार्य/2023 दिनॉकः मार्च 19, 2023

:: सराहनीय कार्य ::

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना रामराज पुलिस के साथ हुई पुलिस मुठभेड में 02 लुटेरे अभियुक्तगण, गिरफ्तार(01 घायल), कब्जे से 01 मोटरसाईकिल व अवैध शस्त्र बरामद।

सादर अवगत कराना है कि जनपद मुजफ्फरनगर में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देहात के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी जानसठ के कुशल नेतृत्व में दिनांक 19/03/2023 को थानाध्यक्ष रामराज श्री सुनील शर्मा मय हमराहीगण उ0नि0 श्री रांकेश सिंह, है0का 505 अमित कुमार, का0 854 प्रशान्त चौधरी, का0 1468 नवीन कुमार, का0 2351 सुल्तान सिंह मय गाडी सरकारी मय चालक है0का0 राजेन्द्र बंसल के थाना रामराज से वास्ते देखरेख शांति व्यवस्था व तलाश वांछित अभियुक्त व वारंटी व रोकथाम जुर्म जरायम व चेकिंग संदिग्ध वाहन व्यक्ति में रवाना होकर नहर पुल जमालपुर पर चौकिंग कर रहे थे तभी तारापुर की ओर से / रामराज पुल की ओर से बैराज की ओर एक मोटर साइकिल पर दो व्यक्ति आते दिखाई दिये जिन्हे पुलिस पार्टी द्वारा रोका गया तो नही रुके और मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पर ऊपर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया तथा मोटर साइकिल को तेजी भगाकर बैराज पुल की ओर भागने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा थाना उच्चाधिकारीगण को घटना की सूचना देते हुए अतिरिक्त फोर्स की मांग की गयी तथा मोटर साइकिल पर सवार बदमाशों का पीछा किया तो जमालपुर नहर पुल से करीब एक कि0मी0 आगे बैराज की ओर भागे हुए बदमाशों की मोटर साइकिल फिसल कर गिर जाने के कारण बदमाश मोटर साईकिल वहीं छोडकर पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए नहर पटरी के किनारे पेड व झाडियों की ओर भागने लगे। फायर से पुलिस पार्टी सिखलाए हुए तरीके से बाल–बाल बचे तथा अदम्य साहस का परिचय देते हुए बदमाशों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा किंतु बदमाश पेड की आड लेकर पुलिस पार्टी पर फायर करते रहे। पुलिस पार्टी द्वारा बदमाशों को ललकारा और आत्मासमर्पण करने के लिए कहा गया किंतु बदमाश फायरिंग करते रहे। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ सूक्ष्म फायरिंग की गयी तो एक बदमाश लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया और चिल्लाने लगा तथा दूसरा बदमाश पेडों– झाडियों की ओर भागा। भागते हुए बदमाश का पीछा उ0नि0 राकेश सिहं व है0का0 505 अमित कुमार द्वारा पीछा किया गया और कुछ दूरी पर पकड लिया। पुलिस पार्टी द्वारा सिखलाए गए तरीके से जमीन पर गिरे हुए बदमाश के पास जाकर देखा तो घायल अवस्था में पड़ा है। इसी दौरान मौके पर उ0नि0 राकेश कुमार , का0 2342 जितेन्द्र व का0 2112 रिंकू भी मौके पर आ गए है जिन्हें संपूर्ण घटनाक्रम से अवगत कराते हुए घायल/गिरफ्तार अभियुक्तगण से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो घायल अभियुक्त ने अपना नाम **कलीम उर्फ बिहारी पुत्र शरीफ निवासी निराना थाना सिखेडा जनपद मुजफ्फरनगर** बताया तथा दूसरे अभियुक्त ने अपना नाम **शमसाद पुत्र रशीद मूल निवासी बुढ्ढू पुरा जिला शामली हाल पता किराये का मकान ग्राम नशीरपुर थाना नई मंडी मुजफ्फरनगर** बताया।

अभियुक्तगण के कब्जे से **01 स्पलैण्डर मोटरसाइकिल बिना नम्बर, 02 तमंचे मय 03 ज़िंदा व 03 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद** किए गए जिसके सम्बन्ध में थाना रामराज पर मु0अ0सं0 36/23 धारा 307 भादवि, 3/25/27 आयुध अधिनियम बनाम अभियुक्तगण 1. कलीम उर्फ बिहारी व 2. शमसाद उपरोक्त पंजीकृत किया गया। पंजीकृत अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री अशोक कुमार द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता–

1. कलीम उर्फ बिहारी पुत्र शरीफ निवासी ग्राम निराना थाना सिखेडा, मुजफ्फरनगर।(घायल)
2. शमशाद पुत्र रफीक निवासी ग्राम नसीरपुर थाना नईमण्डी, मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरण–

- 02 अवैध तमंचे मय 03 जिन्दा व 03 खोखा कारतूस .315 बोर।
- 01 मोटरसाईकिल स्पलैण्डर बिना नम्बर।

गिरफ्तार अभियुक्त कलीम उर्फ बिहारी उपरोक्त का अपराधिक इतिहासः–

1. मु0अ0सं0 34/16 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सिखेड़ा, मुजफ्फरनगर।
2. मु0अ0सं0 184/16 धारा 60 आब0अधि0 थाना सिखेड़ा, मुजफ्फरनगर।
3. मु0अ0सं0 270/17 धारा 379/411 भादवि थाना सिखेड़ा, मुजफ्फरनगर।
4. मु0अ0सं0 67/19 धारा 380/457 भादवि थाना सिखेड़ा, मुजफ्फरनगर।
5. मु0अ0सं0 76/19 धारा 380/411/457 भादवि थाना सिखेड़ा, मुजफ्फरनगर।
6. मु0अ0सं0 78/19 धारा 307/420 भादवि थाना सिखेड़ा, मुजफ्फरनगर।
7. मु0अ0सं0 79/19 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सिखेड़ा, मुजफ्फरनगर।
8. मु0अ0सं0 84/19 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सिखेड़ा, मुजफ्फरनगर।
9. मु0अ0सं0 167/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिखेड़ा, मुजफ्फरनगर।
10. मु0अ0सं0 190/19 धारा 307 भादवि थाना सिखेड़ा, मुजफ्फरनगर(वांछित)।
11. मु0अ0सं0 191/19 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सिखेड़ा, मुजफ्फरनगर।
12. मु0अ0सं0 62/23 धारा 392 भादवि थाना तितावी, मुजफ्फरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. थानाध्यक्ष श्री सुनील शर्मा थाना रामराज, मुजफ्फरनगर।
2. उ0नि0 श्री राकेश सिंह थाना रामराज, मुजफ्फरनगर।
3. है0का0 505 अमित थाना रामराज, मुजफ्फरनगर।
4. का0 854 प्रशान्त थाना रामराज, मुजफ्फरनगर।
5. का0 2351 सुल्तान थाना रामराज, मुजफ्फरनगर।
6. का0 नवीन कुमार थाना रामराज, मुजफ्फरनगर।

नोटः– घायल/गिरफ्तार अभियुक्तगण थाना तितावी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 62/23 धारा 395/412 भाद[illegible] तथा मु0अ0सं0 63/23 धारा 147/148/149/307 भादवि में वांछित अभियुक्तगण थे जो दिनांक 19.03.2023 को थाना तितावी पुलिस के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान फरार हो गए थे। अभियुक्तगण द्वारा घटना वि[illegible] जाने का जुर्म इकबाल किया गया है। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
मुजफ्फरनगर